कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं0: 942 / 12–1 दिनांक 10/ 09/2021

सेवा में,

जिला युवा कल्याण एवं
प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी,
नई टिहरी।

विषय :– जनपद–टिहरी गढवाल के अन्तर्गत मा0 मु0 मंत्री जी की घोषणा संख्या–76/2017 विकासखण्ड–हिण्डोलाखाल में मिनी स्टेडियम (चन्द्रबदनी खेल मैदान) के निर्माण हेतु 0.600 है0 वन भूमि का गैर वानकी कार्यो हेतु युवा कल्याण विभाग पी0आर0डी0 नई टिहरी को प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव संख्या–**FP/UK/OTHERS/37359/2010**

सन्दर्भ :– भारत सरकार का पत्रांक–08बी/यू0सी0पी0/09/128/2020/एफ0सी0/1860 दिनांक 27–11–2020।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार द्वारा विषयक मिनी स्टेडियम (चन्द्रबदनी खेल मैदान) की सैद्वान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तो के अधीन जारी की गयी है, जिसकें अनुपालन में संशोधित डिमाण्ड नोट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है :–

1- शर्त संख्या–01 के अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति में कोई बदलाव नही किया जायेगा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2- शर्त संख्या–02 के अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपी जायेगी।

3- शर्त संख्या–03 (क) के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1.20 है0 में 1200 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं दस वर्षो तक रख–रखाव हेतु मु0 04,45,082.00 धनराशि जमा करनी होगी। जहॉ तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाये तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। दर का निर्धारण प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–1459/3–5–2 PO दिनांक 01–07–2021 के अनुसार निर्धारित किया गया है।

वसूली वर्ष 2020–21 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु धनराशि का विवरण –

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि –	0.60 X 2 =1.20 है0
क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति है0–	3,70,902.00 प्रति है0
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि–	1.20 X 3,70,902.00=**04,45,082.40**

शर्त संख्या–03 (ख) के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरकरण द्वारा पौधरोपण योजना के साथ उक्त क्षेत्र का नाम एवं कोर्डिनेटस् अंकित करते हुये डिजिटल मानचित्र की प्रति उपलब्ध कराना होगा।

4- शर्त संख्या–04 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिरकरण द्वारा यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तभन की लागत परियोजना द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिये प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्राविधान शामिल किये जा सकते है। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

Urgent
कार्यवाही
हे: जि.यु.क.अ.
24/9/2021

8

5- शर्त संख्या–05 (क) के अनुपालन में एन0पी0वी0 के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 0.60 हे0 हेतु @ 6,57,000.00 प्रति हे0 की दर से मु0 03,94,200.00 धनराशि धनराशि जमा करनी होगी। एन0पी0वी0 की मांग का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

"प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 मे उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार आवंटित वन भूमि हेतु एन0पी0पी0 की देयता निम्नानुसार है" :–

ईको–क्लास श्रेणी–	V
हरियाली का घनत्त–	0.10 Open Forest
एन0पी0वी की दर प्रति हे0–	मु0 6,57,000.00 (छः लाख सत्तावन हजार रुपये मात्र)
आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल–	0.60 हे0
कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि–	0.60 हे0 X 6,57,000.00 = 03,94,200.00

शर्त संख्या– 05 (ख). के अनुपालन में प्रयोक्ता द्वारा इस आशय का वचनबद्दता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगें कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0बी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

6- शर्त संख्या–06 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।

7- शर्त संख्या–07 के अनुपालन में State Govt. will submit the part-III to this office as well as upload the same in online at designated place.

8- शर्त संख्या–08 के अनुपालन में FRA certificate submitted for projects other then non linear which should be project for non project for non linear.

9- शर्त संख्या–09 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में हस्तान्तरित/जमा की जाने वाली धनराशि केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से ही मान्य होगी।

10- शर्त संख्या–10 के अनुपालन में गाईडलॉन्स में दिये गये दिशानिर्देशो के पैरा–11.2 के अनुसार प्रयोक्ता अभिरकण विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सराकर इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनाक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश मे उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जायेगी। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11- शर्त संख्या–11 के अनुपालन एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

12- शर्त संख्या–12 के अनुपालन मे प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। इस आशय का प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

13- शर्त संख्या–13 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जायेगा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

14- शर्त संख्या–14 के अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

15- बिन्दु संख्या–15 के अनुपालना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा की निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा। जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।

16- बिन्दु संख्या–16 के अनुपालना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के सीमांकन का प्रॉक्कलन राजि अधिकारी माणिकनाथ राजि से तैयार कर प्रॉक्कलनानुसार धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के पक्ष में जमा करना होगा।

17- शर्त संख्या–17 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरवित या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

18- शर्त संख्या–18 के अनुपलान में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

19- शर्त संख्या–19 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

20- बिन्दु संख्या–20 के अनुपालना में यदि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या–11–42/2017/एफ0सी0 दिनांक 29–01–2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।

21- बिन्दु संख्या–21 के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर अन्य शर्त लागू की जाती है जो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उनका भी पालन किया जायेगा।

22- शर्त संख्या–22 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि परियोजना निर्माण के दौरान पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरें। वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य करेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जायेगा। तथा मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नही की जायेगी।

23- शर्त संख्या–23 के अनुपालन में प्रयोक्ता यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम /न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

24- बिन्दु संख्या–24 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर भी अपलोड की जानी होगी।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्याः– / दिनांकित

प्रतिलिपि :– राजि अधिकारी, माणिकनाथ राजि को इस कार्यालय के पत्रांक–1599/12–1 दिनांक 11–12–2020, पत्रांक–851/12–1 दिनांक 04–09–2021 के क्रम में इस निर्देश के साथ कि बिन्दु संख्या–03 (ख) के अनुपालन में मिनी स्टेडियम के आस–पास 1.20 हे0 में होने वाले वृक्षारोपण स्थल का चयन कर मु0 04,45,082.00 का प्राक्कलन एवं उक्त स्थल की जी0पी0एस0 कोर्डिनेटस, क्षेत्र का नाम तथा बिन्दु संख्या–16 के क्रम में प्रत्यावर्तित वन भूमि का आर0सी0सी0 पिल्लर द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन तैयार कर प्रस्तावक विभाग को उपलब्ध कराते हुये अनुपालन आख्या उप प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुये सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित अन्य शर्तो का अनुपालन प्रस्तावक विभाग से करवाना सुनिश्चि करें।

प्रतिलिपि :– उप प्रभागीय वनाधिकारी, देवप्रयाग उप वन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।